सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

(अंग्रजी माध्यम) प्री प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल तक

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुमित्रा देवी शिक्षण सेवा संस्थान, देवडीह,
शिक्षा क्षेत्र–बांसडीह, बलिया।

पत्रांक : 365/3572-75 /2017–18 दिनांक : 28.5.2018

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 की प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण –पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–419/79–6–2013–18 एस (7)/89 दिनांक 8 मई 2013 के अनुपालन में आपके विद्यालय का कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक दिनांक 01.07.2015 से 30.06. 2018 .तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जॉच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं0–419/79–6–2013–18 एस (7) 79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी तथा उक्त आदेश दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी होगा।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जानें के अध्यधीन है :–

1.मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चाव मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।

2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।

3.विद्यालय कक्षा –1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो, और सुविधा विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती हैं। इसका अनिवार्यतः पालन किया जायेगा।
- अध्यापक अधिनियम की धारा–24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं।
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–88725 वर्गफीट
   - कुल निर्मित क्षेत्र–3190 वर्गफीट
   - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल–85535 वर्गफीट
   - कक्षाओं की संख्या–04 वर्गफीट
   - प्राध्यापक सह कार्यालय– सहभण्डार के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
   - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–उपलब्ध है।
   - पेय जल–उपलब्ध है।
   - मीड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई–उपलब्ध है।
   - बाधा रहित पहुँच–सुनिश्चित की गयी है।
   - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध हैं।

9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा हैं।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हैं।

13. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टड-एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 476 /2018 हैं। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिल बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।

17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ।
2.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
3.खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र–बासडीह बलिया।

(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ